अरुंधती वशिष्ठ अनुसंधान पीठ

21/16 महावीर भवन, हाशिमपुर रोड, टैगोर टाउन, इलाहाबाद-211002 (उ0प्र0)

दिनांक 09 व 10 जनवरी, 2016 को दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली में संपन्न
"श्रीराम जन्मभूमि मंदिर : उभरता परिदृश्य" विषयक राष्ट्रीय

<u>संगोष्ठी का प्रतिवेदन</u>

अरुंधती वशिष्ठ अनुसन्धान पीठ के तत्वाधान में "श्रीराम जन्मभूमि मंदिर : उभरता परिदृश्य" विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी की प्रस्तावना अनुसन्धान पीठ के संयोजक डा० चन्द्र प्रकाश सिंह के द्वारा रखी गयी. अनुसन्धान पीठ के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए उन्होने कहा कि किसी भी राष्ट्र की स्वतंत्रता वास्तविक अर्थो में तभी सिद्ध होती है जब उस राष्ट्र का राज्यतंत्र उस राष्ट्र की परम्परा, प्रकृति, परिवेश एव पर्यवारण के अनुकूल बनाई गई नीतियों द्वारा संचालित होता है. नीतियो के निमार्ण का यह कार्य शासन या राज्य के द्वारा संभव नहीं हो सकता. इस कार्य को विश्वविद्यालयों के विद्वानों एवम् शोधार्थियों को करना होगा. इसके लिए प्रेरित कराना अनुसन्धान पीठ का मुख्य उद्देश्य है.

श्रीराम जन्मभूमि का प्रकरण एक राष्ट्रीय मुद्दा है. शताब्दियों से यह भारतीय समाज को प्रभावित करता रहा है. विगत तीन दशकों से भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना व्यापक रूप से इससे प्रभावित रही है. हम विरोध करने वालों से पूछना चाहते है कि ऐसे मुद्दे के एतिहासिक, पुरातात्विक एवम् विधिक पहलुओं की चर्चा यदि विश्वविद्यालय में नहीं हो सकती तो और कहां होगी ?

संगोष्ठी के उदघाटन सत्र में आधार भाषण प्रस्तुत करते हुए अनुसन्धान पीठ के अध्यक्ष डाक्टर सुब्रह्मण्यम स्वामी ने भारत के पंथ निरपेक्ष चरित्र को प्रस्तुत करते हुए कहा कि यहूदी और पारसी सभी यहाँ सुरक्षित रहे भारत ने सभी को समान संरक्षण प्रदान किया क्योंकि यहाँ हिन्दू संस्कृति है . श्री राम मंदिर निर्माण को भारत के पुनर्निर्माण के साथ जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण के साथ ही हमारी पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था, योग, अध्यात्म आदि की व्यवस्था दुबारा स्थापित हो सकेगी. मंदिरों को विनष्ट करने के पीछे संस्कृति विनष्ट करने की मुस्लिम आक्रान्ताओं की चेष्टा को भी स्वामी जी ने स्पष्ट किया. डॉ. स्वामी ने भारत सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत शपथ-पत्र के विषय में बताते हुए यह भी स्पष्ट किया किसुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा यह वायदा किया गया था कि ' विवादस्पद ढांचे के नीचे यदि किसी मंदिर के अवशेष पाए जायेंगे तो हम उस पर से अपना दावा छोड़ देंगे.' उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय से ज्यादा इस विवाद को बढाने में तथाकथित सेकुलरों की भूमिका रही है.

एडिशनल सोलिसिटर जनरल श्री जी. राजगोपालन ने श्री राम जन्मभूमि मुद्दे को सामाजिक न्याय के साथ जोड़ कर रखा. उन्होंने यह भी बताया कि पूजित और प्राण प्रतिष्ठित मंदिर एवं विग्रह को कभी हटाया नहीं जा सकता. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रसिद्द इतिहासकार डॉ. सतीश मित्तल ने कहा कि राम के बिना भारत के इतिहास की कल्पना नहीं की जा सकती. उन्होंने विभिन्न ऐतिहासिक ग्रंथों जैसे- तुर्क ए बाबरी, ए. एस बेवर्जन आदि के आधार पर कोर्ट में प्रस्तुत साक्ष्यों का ब्यौरा भी दिया .

प्रथम तकनीकी सत्र ' श्री राम का चरित्र और आदर्श एवं भारतीय संस्कृति पर उसका प्रभाव में विषय का प्रतिपादन करते हुए प्रसिद्द साहित्यकार आचार्य सोहनलाल रामरंग ने राम के अस्तित्व को भारत भूमि के अस्तित्व के रूप में प्रतिपादित किया. उन्होंने श्री राम मंदिर को स्वप्न नहीं संकल्प के रूप में देखने की जरूरत पर जोर दिया. वाल्मीकि रामायण, कम्ब रामायण, रामचरित मानस के विभिन्न प्रसंगों के आधार पर उन्होंने विषय का प्रतिपादन किया.

द्वितीय तकनीकी सत्र ' श्री राम मंदिर और उसकी ऐतिहासिकता' पर बोलते हुए प्रसिद्द सिख इतिहासकार सरदार राजेन्द्र सिंह ने गुरु नानक देव से लेकर गुरु गोविन्द सिंह तक के सिख साहित्य के आधार पर राम व राम मंदिर के अस्तित्व का प्रतिपादन किया. इस सत्र में डॉ. सतीश मित्तल ने कोर्ट के समक्ष अपने अनुभव एवं विभिन्न गजेटियरों, विदेशी यात्रियों के यात्रा वृतांतों व मुस्लिम लेखकों की पुस्तकों के आधार पर राम मंदिर के अस्तित्व एवं उसके ध्वस्त किये जाने के तथ्यों को सामने रखा.

सत्र की अध्यक्षता कर रहे आगरा विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर डॉ. विशन बहादुर ने विवादित ढांचे को एक अधूरी इमारत बताया तथा बाबरनामा, सैय्यद अब्बास मिर्जा, विलियम प्रिंस, हंस बेकन, टाईफैंथेलर के सन्दर्भों द्वारा इस बात को पुष्ट किया कि विवादित ढांचा भगवान श्री राम के मंदिर को तोड़कर बनाया गया था.

संगोष्ठी के दूसरे दिन के प्रथम तकनीकी सत्र ' श्री राम मंदिर : उत्खनन एवं पुरातात्विक साक्ष्य' पर विषय का प्रतिपादन करते हुए अधिवक्ता श्री मदनमोहन पांडेय ने जी. पी. आर. रिपोर्ट, आर्कियोलोजिकल सर्वे आफ इंडिया की रिपोर्ट, कार्बन डेटिंग की रिपोर्ट द्वारा प्राप्त निष्कर्षों को सामने रखते हुए यह बताया कि ध्वस्त मंदिर के अवशेष दसवीं सदी या उससे पहले के हैं. उत्खनन के दौरान गोलाकार लाइन की बात हो या कसौटी पीलर आदि अवशेषों से प्राप्त निष्कर्षों को सामने रखते हुए उन्होंने उपरोक्त स्थान पर एक भव्य मंदिर होने के प्रमाण को पुष्ट किया. पुरातत्वविद एवं छत्तीसगढ़ सरकार के पुरातात्विक

सलाहकार डॉ. अरुण कुमार शर्मा ने स्पष्ट किया कि विवादित ढांचा मस्जिद होने के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करता था. न तो वहां मीनार थी और न ही वजू करने का स्थान था. विवादित ढांचे में पाए गए अवशेषों का स्थापत्य हिन्दू मंदिर होने का प्रमाण प्रस्तुत करते है. शिलालेख के अनुवादित पाठ को स्पष्ट करते हुए शर्मा ने बताया कि विवादित स्थान पर ११ वीं सदी के गहड़वाल वंश के राजा ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराय था.

चतुर्थ तकनीकी सत्र " श्री राम मंदिर : विधिक मुद्दे" में भारत सरकार के एडिशनल सोलिसिटर जनरल श्री अशोक मेहता ने पुरे मुद्दे की विस्तार पूर्वक जानकारी दी. उन्होंने बाताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखानऊ खण्ड पीठ के तीन जजों के बेंच द्वारा दिया गया यह निर्णय अब तक का सबसे बड़ा निर्णय है, जो २२ वाल्यूम में है. संविधान की प्रस्तावना में मौजूद आस्था, विश्वास आदि की रक्षा की चर्चा करते हुए उन्होंने ने कहा कि सेक्युलर बुद्धिजीवियों दृष्टि से तो संविधान भी सम्प्रदायिक हो जायेगा. उन्होंने कहा कि सत्य को स्वीकार कर समस्या को व्यक्ति से अलग करके देखने पर ही समाधान संभव है. एडिशनल सोलिसिटर जनरल श्री जी. राजगोपालन ने संविधान में मौलिक अधिकार और वक्फ की जमीन सम्बन्धी दावा पर विस्तृत चर्चा की. उन्होंने बताया कि नमाज अदा करने के लिए मस्जिद कोई अनिवार्य स्थान नहीं होता .

संगोष्ठी के समापन सत्र में सर्वोच्च नयायालय के अधिवक्ता एवं नागालैंड के महाधिवक्ता श्री विक्रमजीत बनर्जी ने संविधान की प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा बताते हुए अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण एक संविधान संगत विषय है.

समापन भाषण में विश्व हिन्दू परिषद् के महामंत्री श्री चम्पत राय ने श्री राम जन्मभूमि के विधिक मुद्दे के कई ऐसे पहलुओं को छूने की कोशिश की जो अभी तक सामने नहीं आ सके थे. भारतीय संस्कृति की व्याख्या करते हुए उन्होंने भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण को धर्म एवं आस्था का ही नहीं अपितु राष्ट्र के स्वाभिमान का प्रतीक बताया.

संगोष्ठी की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए संगोष्ठी के संयोजक डॉ. संजय कुमार ने बताया कि देशभर के विश्वविद्यालयों से ५६० शिक्षक एवं शोधार्थियों ने इस संगोष्ठी में अपना पंजीकरण कराया. समयाभाव के कारण मात्र २६ लोगों को शोध-पत्र प्रस्तुत करने का मौका मिल सका, परन्तु शेष लोगों के शोध-पत्र को पढ़ा हुआ मनाकर समीक्षात्मक अध्ययन के पश्चात् कार्यवाही में सम्मिलित किया जायेगा.

--- डॉ. संजय कुमार
संगोष्ठी संयोजक